

(2)

न्या०अति.जिला कलक्टर
अपील संख्या 15/2017

जानकारी किये व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये पारित किया गया है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1364/1175 रकवा 02 वीधा गत नम्बरान 791 व 789 से बना है जबकि गत खसरा नम्बर 791 व 792 में से एक बीधा रकवा का तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 17.06.1964 को अपीलान्त के पिता स्व० कन्हीलाल पुत्र भोला जाति लोधा निवासी ग्राम कासिमपुर तहसील धौलपुर के नाम आवंटन किया गया तथा उक्त दिवस को ही उक्त गत खसरा नम्बरान में से एक बीधा आराजी पर कब्जा दिया गया। कन्हीलाल का निधन 7 वर्ष पूर्व हो चुका है। कन्हीलाल की मृत्युपरान्त अपीलान्तस उनके जायज वारिस व कायम मुकाम है जिनका समस्त तर्का विरासतन प्राप्त किया है। अपीलान्त अपने पिता एलोटमेन्ट दिनांक 17.06.1964 से अपनी जीवन पर्यान्त काबिज होकर फसल प्राप्त करते रहे उनकी मृत्युपरान्त अपीलान्त उक्त आराजी पर व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है ना कि अतिचारी है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्तन के उक्त आराजी पर कानूनन विधि अनुसार आवंटन दिनांक 17.06.1964 से दस वर्षों के अन्दर ही हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त आराजी पर धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.2.2017 विधि अनुसार व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं राजस्व रिकार्ड की जानकारी किये बिना पारित किया गया है जो काबिल निरस्ती है। उक्त उनवानी अपील में हुई देरी अपीलान्त द्वारा जानबूझ कर नहीं की गई है बल्कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आवेदन गुम होने से हुई है इसलिये प्रथक से धारा 5 म्याद अधि० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अपीलान्त ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर आराजी खसरा नम्बर हाल 1364/1175 रकवा एक वीधा पर आवंटन दिनांक 17.06.1964 के जरिये अपीलान्तस के पक्ष में नियमन की सिफारिस की जाकर हकूक खातेदारी प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्तस दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेण्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1364/1175 रकवा 02 वीधा गत नम्बरान 791 व 792 से बना है जबकि गत खसरा नम्बर 791 व 792 में से एक बीधा रकवा का तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 17.06.1964 को अपीलान्त के पिता स्व० कन्हई के नाम आवंटन किया गया तथा एक बीधा आराजी पर कब्जा दिया गया। कन्हीलाल का निधन 7 वर्ष पूर्व हो चुका है। कन्हीलाल की मृत्युपरान्त अपीलान्तस उनके जायज वारिस व कायम मुकाम है जिनका समस्त तर्का विरासतन प्राप्त किया है। अपीलान्त अपने पिता एलोटमेन्ट दिनांक 17.06.1964 से अपनी जीवन पर्यान्त काबिज होकर फसल प्राप्त करते रहे है उनकी मृत्युपरान्त अपीलान्त उक्त आराजी पर व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है ना कि अतिचारी है। उक्त आराजी पर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही


अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

(3)


न्याय अति.जिला कलक्टर
अपील संख्या 15/2017

एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.2.2017 विधि अनुसार व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं राजस्व रिकार्ड की जानकारी किये बिना पारित किया गया है जो काबिल निरस्ती है।

रेस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वर्तमान में विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसकी किस्म बारानी सोयम हैं जिस पर अपीलान्ट ने सम्वत 2073 में रबी फसल में सरसों की फसल बोककर अतिक्रमण किया है जिस पर धारा 91 के प्रावधान लागू होते हैं। विवादित आराजी पर अपीलान्ट को कोई आवंटन अगर हुआ है तो वह प्रथक से सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें वर्तमान में अपीलान्ट की हैसियत एक अतिक्रमी की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्षों की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलान्टस का मुख्य रूप से यह कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1364/1175 रकवा 02 बीघा गत नम्बरान 791 व 789 से बना है जबकि गत खसरा नम्बर 791 व 792 में से एक बीघा रकवा का तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 17.06.1964 को अपीलान्ट के पिता स्व० कन्हीलाल पुत्र भोला जाति लोधा निवासी ग्राम कासिमपुर तहसील धौलपुर के नाम आवंटन किया गया तथा उक्त दिवस को ही उक्त गत खसरा नम्बरान में से एक बीघा आराजी पर कब्जा दिया गया। कन्हीलाल का निधन 7 वर्ष पूर्व हो चुका है। कन्हीलाल की मृत्युपरान्त अपीलान्टस उनके जायज वारिस व कायम मुकाम है जिनका समस्त तर्का विरासतन प्राप्त किया है। अपीलान्ट अपने पिता एलोटमेंट दिनांक 17.06.1964 से अपनी जीवन पर्यान्त काबिज होकर फसल प्राप्त करते रहे उनकी मृत्युपरान्त अपीलान्ट उक्त आराजी पर व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है ना कि अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ था। अपीलान्ट द्वारा लिखित जबाब मय दस्तावेजात के प्रस्तुत किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जबाब को रिकार्ड पर नहीं लेकर निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलान्टस के जबाब को रिकार्ड पर नहीं लिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.2.2017 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि कथित आवंटन की सत्यता एवं रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारणों की जाँच करें यदि आवंटन सही है तो अमलदरामद की कार्यवाही नियमानुसार करने हेतु एवं अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये



अति. जिला कलक्टर
धौलपुर

(4)

न्या० अति. जिला कलक्टर
अपील संख्या 15/2017

गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित करे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ़तर हो।
निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।




(हरफूल सिंह यादव)
अति० जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)